तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 52/2020 अर्न्तगत धारा 53,188 आरटीए कमला व अन्य बनाम जीवण व अन्य
06.05.2022	वदीगण व उनके अभिभाषकगण के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते वाद पत्र विड्रो किये जाने का हमारे समक्ष परस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत वाद मे कानूनी विधिक त्रुटि रह जाने के कारण व उनके हक अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ इस वाद को आज ही विड्रो फरमाया जावे। वादीगण स्वंय उपस्थित है। जिन्होने न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर व अगूठा निशानी अंकित कर प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को स्वीकारा है। वादीगण के अभिभाषकगण द्वारा वादीगण को पहचान कर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। चूंकि वादीगण स्वंय वाद मे विधिक त्रुटि रह जाने के कारण इस वाद को अपने अधिकारो का सुरक्षित रखते हुए विड्रो करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के हक अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए नवीन वाद लाने की अनुमति के साथ इस वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नेम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर